न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **280/2023** GCMS 2023/462

वादीगण :–

1. मन्जू पत्नी नेमीचंद जाति जाट निवासी कालोली तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. रामसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामन सिटी
2. मनीदेवी पत्नी गुमानाराम जाति समस्त जाट निवासी कालोली तहसील कुचामन सिटी
3. गजराज कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कालोली तहसील कुचामन सिटी
4. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
5. प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
6. उप पंजीयक अधिकारी चितावा
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी वादी की ओर से

श्री भवानी सिंह व सुरेन्द्र किरडोलिया प्रतिवादीगण की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/03/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम कालोली पटवार हल्का चाण्डिया के वर्तमान खसरा नम्बर 493/260 कुल रकबा 9.3340 हैक्टयर कृषि भूमि अन्य सहखातेदों के साथ आई हुई है। वाद पत्र के साथ नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी संलग्न है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की राजस्व रेकर्ड में अविभाजित भूमि चली आ रही है। जबकि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 मौके पर अपनी हक हिस्से की भूमि विभाजित कर अपने–अपने हक व हिस्से पर नींव सींव कायम कर अपनी असुविधानुसार काश्त करते आ रहे है तथा अपने हिस्से में रहवासी मकान बनाकर रहवास कर रहे हैं। वादीया उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में 80/359 हिस्सा का काबिज खातेदार है तथा रहवासीय मकान बनाकर वादीया अपने हक हिस्से की भूमि में रहवास कर रही है तथा अपनी सुविधानुसार मौके पर आपसी सहमति से भू–विभाजन कर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करती आ रही है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादीया की [illegible] काश्त की भूमि अविभाजित होने के कारण किसान कार्ड, ऋण आदि में [illegible] वादीया को भू–विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है जिसमें वादीया के हक हिस्से की 80/[illegible] रकबा 2.079 हैक्टयर कृषि भूमि उक्त खसरा की 493/260 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में आई हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:17:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

जिस पर मौखिक बंटवारे अनुसार वादीया पिछले दो सालों से निरन्तर व निर्बाद रूप से कब्जा काश्त करती आ रही है तथा आपनी सीव नींव कायम कर रखी है ताकि भविष्य में बंटवारा को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। खसरा नम्बर 493/260 में वादीया कब्जे काश्त अनुसर 80/359 रकबा 2.079 हैक्टेयर की हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि मौके पर 493/260 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण कब्जा काश्त अनुसार बाद ना चौक **by meets & bounds** भू–विभाजन करवा कर **separate holding** व नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाना चाहता है। मौजा ग्राम कालोली पटवार हल्का चावण्डिया के वर्तमान खसरा नम्बर 493/260 कुल रकबा 9.3340 हैक्अयर भूमि में वादीया का हिस्सा 80/359 रकबा 2.079 हैक्टयर मौके पर खसरा नम्बर 493/260 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण का कब्जा काश्त अनुसार बाद नाप चौक **by meets & bounds** भू–विभाजन करवा कर **separate holding** व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावें इस आशय की डिकी बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाही है। प्रतिवादी संख्या 06 से 07 अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी व प्रतिवादी संख्या मनी देवी, गजराज कंवर, रामसिंह द्वारा वाद पत्र में राजीनामा पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम कालोली पटवार हल्का चावण्डिया तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 493/260 कुल रकबा 9.3340 हैक्टयर कृषि भूमि में वादीया की कब्जासुदा, खातेदारीसुदा भूमि आई हुई है प्रतिवादीगण संख्या 01 ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान रामसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया वाले को कर दिया है। वादीया व प्रतिवागण संख्या 02 व 03 खरीदसुदा प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने हक हिस्से की भूमि पर आपसी सहमती से काश्त करते आ रहे है। वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 रामसिंह व प्रतिवादीगण संख्या 03 मौके पर अपासी सहमति से निर्विद रूप से काश्त करते आ रहे है जिसका नजरी नक्शा निम्नवत् पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या [illegible] रामसिंह व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाद नाप चौक **by meets & bounds** भू विभाजन करवा कर **separate holding** व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश जरिये राजीनामा फरमाया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

ग्राम कालोली के खसरा नम्बर 493/260 रकबा 9.3340 हैक्टयर में वादी मन्जू देवी को हिस्सा 80/359, प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह को हिस्सा 483/9334, प्रतिवादी संख्या 02 मनीदेवी को हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 गजराज कंवर को हिस्सा 1052/4667 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से वाद अंतिम डिक्री किया जाता है :–

–: आदेश :–

वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम कालोली के खसरा नम्बर 493/260 रकबा 9.3340 हैक्टयर में वादी मन्जू देवी को हिस्सा 80/359, प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह को हिस्सा 483/9334, प्रतिवादी संख्या 02 मनीदेवी को हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 गजराज कंवर को हिस्सा 1052/4667 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार । R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:47:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन बईजलास :– **श्री सुनील कुमार I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **280/2023** GCMS 2023/462

वादीगण :–

1. मन्जू पत्नी नेमीचंद जाति जाट निवासी कालोली तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. रामसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामन सिटी
2. मनीदेवी पत्नी गुमानाराम जाति समस्त जाट निवासी कालोली तहसील कुचामन सिटी
3. गजराज कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कालोली तहसील कुचामन सिटी
4. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
5. प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
6. उप पंजीयक अधिकारी चितावा
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी, भवानी सिंह, श्री सुरेन्द्र किरडोलिया अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम कालोली के खसरा नम्बर 493/260 रकबा 9.3340 हैक्टयर में वादी मन्जू देवी को हिस्सा 80/359, प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह को हिस्सा 483/9334, प्रतिवादी संख्या 02 मनीदेवी को हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 गजराज कंवर को हिस्सा 1052/4667 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.....माह 07............ सन् 2025............ को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:47:39 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामां			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:47:39 IST
Reason: SelfAttested